भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 359
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

अधिकरणों की स्थापना

359. श्री तेजस्वी सूर्या :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अनुच्छेद 323-क और ख के अंतर्गत देश में स्थापित अधिकरणों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;
(ख) इन विधानों अथवा किसी अन्य विधि/संधि/करार का अनुसरण करते हुए स्थापित किए गए अधिकरणों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;
(ग) वर्तमान में कार्यरत और बंद किए गए अधिकरणों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;
(घ) रिक्तियों सहित अधिकरणों की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और
(ङ) ऐसे अधिकरणों के संचालन में विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वर्ष-वार कुल कितना व्यय किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के अनुसार, सोलह कार्यरत अधिकरण हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों द्वारा संबंधित अधिनियमों के अधीन प्रशासित किए जाते हैं । संविधान के अनुच्छेद 323क और अनुच्छेद 323ख के अधीन राज्य सरकारें भी संबंधित राज्यों में विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरणों को स्थापित करने के लिए सशक्त होती हैं । केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित अधिकरणों के प्रशासन के लिए आदेशाधीन नहीं हैं और अत: राज्य-वार अधिकरणों तथा उनका प्रशासन करने के लिए उपगत व्ययों का डाटा केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है ।

वित्त अधिनियम, 2017 और अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक तेरह अधिकरण बंद कर दिये गए हैं ।

****